समाहरणालय, कटिहार।

(जिला पशुपालन कार्यालय, कटिहार)

निविदा आमंत्रण सूचना–01/2018–19

वित्तीय वर्ष 2018–19 में कटिहार जिलान्तर्गत सभी प्रखण्डों/अंचलों में संभावित बाढ़/सुखाड़ सहाय्य कार्य के लिए उत्पादक/थोकविक्रेता/आपूर्तिकर्ता/भंडारकर्ता से गेहूँ का भूसा/पुआल की कुट्टी/दलहन की चुन्नी/गेहूँ का चोकर/दानामिश्रण (पशु आहार) की आपूर्ति एवं दर निर्धारण हेतु दिनांक 30.05.2018 के अपराह्न 05:00 बजे तक सीलबंद लिफाफा में निविदा आमंत्रित किया जाता है।

सीलबंद लिफाफा में निविदा जिला पशुपालन कार्यालय, कटिहार में अंतिम तिथि के अपराह्न 05:00 बजे तक निबंधित डाक द्वारा या हाथों–हाथ प्राप्त किया जायेगा। प्राप्त निविदाओं को 31.05.2018 को जिला पदाधिकारी, कटिहार के कार्यालय कक्ष में जिला आपदा क्रय समिति के समक्ष पूर्वाह्न 11:00 बजे खोला जायेगा। निविदा खोलने के समय निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते है।

निविदा के संबंध में विशेष जानकारी के लिए जिला पशुपालन कार्यालय, कटिहार से सम्पर्क किया जा सकता है या वेबसाइट http://katihar.bih.nic.in पर देखा/डाउनलोड किया जा सकता है।

जिला पशुपालन पदाधिकारी,
कटिहार।

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।

समाहरणालय, कटिहार।

(जिला पशुपालन कार्यालय, कटिहार)

निविदा आमंत्रण सूचना–01/2018–19

वित्तीय वर्ष 2018–19 में कटिहार जिलान्तर्गत सभी प्रखण्डों/अंचलों में संभावित बाढ़/सुखाड़ सहाय्य कार्य के लिए उत्पादक/थोकविक्रेता/आपूर्तिकर्ता/भंडारकर्ता से गेहूँ का भूसा/पुआल की कुट्टी/दलहन की चुन्नी/गेहूँ का चोकर/दानामिश्रण (पशु आहार) की आपूर्ति एवं दर निर्धारण हेतु दिनांक 30.05.2018 के अपराह्न 05:00 बजे तक सीलबंद लिफाफा में निविदा आमंत्रित किया जाता है।

सीलबंद लिफाफा में निविदा जिला पशुपालन कार्यालय, कटिहार में अंतिम तिथि के अपराह्न 05:00 बजे तक निबंधित डाक द्वारा या हाथों–हाथ प्राप्त किया जायेगा। प्राप्त निविदाओं को 31.05.2018 को जिला पदाधिकारी, कटिहार के कार्यालय कक्ष में जिला आपदा क्रय समिति के समक्ष पूर्वाह्न 11:00 बजे खोला जायेगा। निविदा खोलने के समय निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते है।

निविदा के संबंध में विशेष जानकारी के लिए जिला पशुपालन कार्यालय, कटिहार से सम्पर्क किया जा सकता है या वेबसाइट http://katihar.bih.nic.in पर देखा/डाउनलोड किया जा सकता है।

(क) निविदा की सामान्य शर्तें:–

1. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा जिला पदाधिकारी, कटिहार के नाम से अलग–अलग सीलबंद लिफाफा को एक–दूसरे बड़े सीलबंद लिफाफा में डाल कर, जिस पर "संभावित बाढ़/ सुखाड़ 2018 में पशु चारा/ दाना हेतु निविदा" अंकित हो, जिला पशुपालन पदाधिकारी, कटिहार को भेजना होगा। तकनीकी निविदा में सफल होने वाले निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
2. सामग्रियों का क्रय आवश्यकतानुसार ही किया जायगा।
3. किसी भी वैधानिक मामला का निपटारा कटिहार जिला अन्तर्गत होगा।
4. किसी भी तरह का विवाद होने पर जिला आपदा क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा।
5. एक से अधिक निविदादाता की सामग्रियों का दर समान होने पर संबंधित निविदादाताओं को समान अनुपात में संयुक्त रूप से आपूर्ति आदेश दिया जा सकता है।
6. सफल निविदादाताओं को तकनीकी निविदा के साथ समर्पित सामग्रियों के नमूनों के अनुरूप सामग्रियों की आपूर्ति करनी होगी।
7. निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से रद्द करने का अधिकार जिला आपदा क्रय समिति को होगा।
8. सफल निविदादाता को आपूर्ति आदेश निर्गत तिथि से 24 घंटे के अंदर सामग्रियों की आपूर्ति करनी होगी तथा अगले आदेश तक आवश्यकतानुसार आपूर्ति जारी रखनी होगी।
9. सफल निविदादाता को जिला पदाधिकारी, कटिहार या जिला पशुपालन पदाधिकारी, कटिहार द्वारा निर्देशित कटिहार जिलान्तर्गत प्रखण्ड/अंचल के निर्धारित पशु शिविर पर सामग्रियों की आपूर्ति करनी होगी। इसके लिए अनुमोदित दर के अतिरिक्त परिवहन एवं अन्य मद में खर्च किये गये राशि का भुगतान नहीं किया जायगा।
10. सफल निविदादाता को जिला पशुपालन पदाधिकारी के साथ एक सप्ताह के अंदर निविदा शर्तो के साथ 1000/– (एक हजार) नन जुडिसियल स्टाम्प पर एकरारनामा करना होगा।
11. दर निर्धारण के पश्चात असफल निविदादाता को उनका अग्रधन के रूप में संलग्न ड्रॉफ्ट उनके लिखित अनुरोध पर लौटा दिया जायेगा तथा सफल निविदादाता के द्वारा शर्तो के अनुपालन में शिशिलता, आपूर्ति में देरी या अनियमिता, गुणवत्ता में कमी की स्थिति में अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायगी तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जायगी।
12. सभी प्रखण्डों/अंचलों में संचालित पशु शिविर तक आपूर्ति करने के कम में हुइ किसी प्रकार की क्षति के लिए आपूर्तिकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगें।
13. आपूर्ति की गई सामाग्री में 10 प्रतिशत से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए तथा कवक (फफूँदी) रहित होना चाहिए।
14. आपदा प्रबंधन विभाग से आवंटत प्राप्त होने के उपरान्त आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति किये गये सामग्रियों की कीमत का भुगतान चेक /ड्रॉफ्ट द्वारा किया जायगा।

क्रमशः–

(ख) तकनीकी निविदा की शर्तेः–

1. निविदादाता को तकनीकी निविदा के साथ अग्रधन के रूप में रू0 5000/– (पाँच हजार) का बैंक ड्रॉफ्ट, जो जिला पशुपालन पदाधिकारी, कटिहार के नाम से हो एवं कटिहार में भुगतेय हो, समर्पित करना होगा।
2. तकनीकी निविदा के साथ आपूर्ति की जाने वाली सामग्रियों का नमूना (200gm) पारदर्शी पलास्टिक की थैली में सीलबंद कर, थैली पर निविदादाता का नाम, पूरा पता एवं मोबाईल नं0 लिख कर समर्पित करना होगा।
3. तकनीकी निविदा के साथ निविदादाता का पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा।
4. सफल निविदादाता गेहूँ का भूसा, पुआल की कुट्टी, दलहन की चुन्नी, गेहूँ का चोकर, दानामिश्रण आदि की कुल मात्रा लगभग 200 क्वींटल प्रति दिन की दर से न्यूनतम 15 दिनों के लिए आपूर्ति करने में सफल निविदादाता को संक्षम होना चाहिए। इसके लिए आपूर्तिकर्ता को पूर्व में ही सामाग्री का भंडारण कटिहार जिलान्तर्गत कर लेना होगा।

(ग) वित्तीय निविदा की शर्तेः–

1. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा जिला पदाधिकारी, कटिहार के नाम से अलग–अलग सीलबंद लिफाफा को एक–दूसरे बड़े सीलबंद लिफाफा में डाल कर, जिस पर "संभावित बाढ़/ सुखाड़ 2018 में पशु चारा/ दाना मिश्रण हेतु निविदा" अंकित हो, जिला पशुपालन पदाधिकारी, कटिहार को भेजना होगा। तकनीकी निविदा में सफल होने वाले निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
2. वित्तीय निविदा में आपूर्ति की जाने वाली सभी सामग्रियों का दर (प्रति क्वींटल) अलग–अलग सामग्रियों के लिए अलग–अलग अंकित करना होगा।

10.5.18 जिला पशुपालन पदाधिकारी, कटिहार।	11/5/18 जिला पदाधिकारी, कटिहार।